सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023 / 340 दर्ज तिथिः—06.10.2023

1. कसूम्बी पुत्री भूराराम उर्फ भूरिया पत्नी सताराम
2. भावी पुत्री भूराराम उर्फ भूरिया पत्नी तेजाराम
   जाति मेघवाल निवासी भेडाणा हाल लोलावा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

.....वादीगण

बनाम

1. रमकू पुत्री भूराराम उर्फ भुरिया पत्नी पताराम
   जाति मेघवाल निवासी गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
2. गवरी पत्नी सुजाणाराम जाति मेगवाल निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. झीणी पुत्री सुजाणाराम पत्नी देवाराम जाति मेगवाल निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
4. नावी पुत्री सुजाणाराम पत्नी बाबुराम जाति मेगवाल निवासी जागसा
5. पांचू पुत्री सुजाणाराम पत्नी छगनाराम जाति मेगवाल निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. लीलू पुत्री सुजाणाराम पत्नी गणेशाराम जाति मेगवाल निवासी डेडावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
7. हुली पुत्री सुजाणाराम पत्नी अनाराम जाति मेगवाल निवासी पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
8. मोटा पुत्र अखाराम जाति मेगवाल निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
9. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा जिला बालोतरा
10. तहसीलदार गुड़ामालानी।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः—श्री सुखराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री जोगराज पोटलिया

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

दिनांक 30.03.2026

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से हैः—

- कि वादिनीगण और प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 का एक ही संयुक्त परिवार है। वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 हिन्दू विधि से शासित होते है। उक्त संयुक्त परिवार का एक ही पुरूष पूर्वज रखा है। जिसका वंशवृक्ष निम्न प्रकार है—

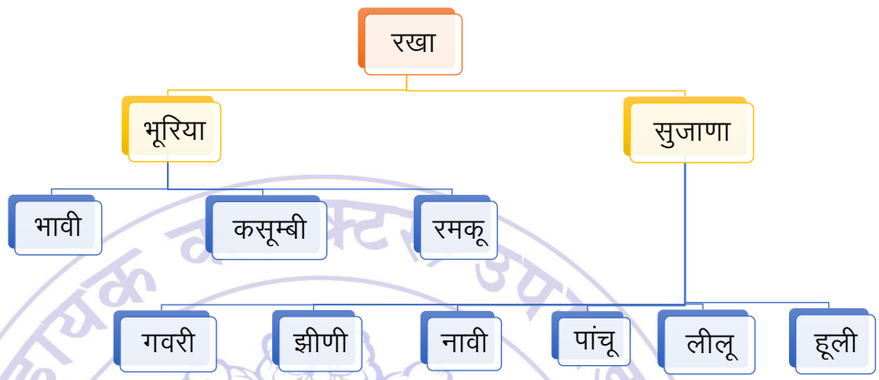

- कि वादिनीगण ने निवेदन किया गया कि वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 का पैतृक खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1221/2.4686 है0, 1237/0.6070 है0, 1238/0.4128 है0 1239/2.4281 है0 मौजा लक्ष्मीनगर पटवार हल्का भेडाणा, खसरा संख्या 1143/1.7240 है0 मौजा देवनगर पटवार हल्का भेडाणा, 148/4.0711 है0, 445/1.4002 है0 446/2.3310 है0, 501/6.5397 है0 मौजा नीलानाडी पटवार मण्डल भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है।
- कि उक्त मुतनाजा आराजी वादिनीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के पूर्वज रखा की पैतृक आराजी थीं। रखा के फौत होने पर भुरिया व सुजाणा के नाम से राजस्व रेकर्ड संधारित हुआ।
- कि मुतनाजा आराजी में वादीगणनीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के पिता भुरिया का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 के पिता सुजाणा का 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज था। वादिनीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के पिता भूरिया के फौत होने में फौतगी का नामान्तरकरण प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 के पिता सुजाणा के नाम से पारित किया गया। वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 भूरिया की पुत्रिया होने के नाते प्रथत श्रेणी की विधिक वारिस होने उपरांत भी विरासत में वादीगणनीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 का नाम दर्ज नहीं किया गया। वादिनीगण के पिता भूरिया के फौत हो जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से में वादिनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के अधिकार सृजित हो गए है। इस प्रकार प्रकरण में वादिनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 बहिस्सा 1/3—1/3 खातेदारी घोषणा करवाने का वाद पेश किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादीगणनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के पिता भूरिया की फौतगी नामान्तरकरण में प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 के पिता द्वारा यह जानते हुए कि भूरिया के कोई जायन्दा पुत्र नहीं है और वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 पुत्रियों का ज्ञान होते हुए भी अपने नाम से नामान्तरकरण करवा दिया। वादीगण अपने ताउ/काका सुजाणा में विश्वास रखती थी। वादीगण को इस बात ज्ञान नही था कि खातेदारी रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं है और न ही समस्त रिकॉर्ड के रदोबदल की जानकारी थी।
- कि प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 के पिता द्वारा गलत नामान्तरकरण का लाभ उठाते हुए वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 1237/0.6070 है0, 1238/0.4128 है0, 1239/2.4281 है0 का बेचान प्रतिवादीगण संख्या 08 को कर दिया। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 के पूर्वपुरूष द्वारा अपने 1/2 हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया है, हिस्से से अधिक भूमि के बेचान का अधिकार नहीं होने से हिस्से से अधिक बेचान को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के हितो व अधिकारों की सीमा तक निष्प्रभावी व शुन्य घोषित किया जावे।
- कि वादीगण के पिता भूरिया द्वारा अपने जीवनकाल में किसी को गोद नही लिया, न ही किसी के पक्ष में वसीयत, बेचान एवं दान करवाया गया। वादग्रस्त आराजी में वादिनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का 1/2 हिस्से भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त 1/2 हिस्से में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 अपना 1/3—1/3 हिस्सा खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी है।
- कि प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 के पति/पिता गलत तरीके से भूरिया की फौतगी का नामान्तरकरण अपने पक्ष में पारित करवाए जाने के बाद प्रतिवादीगण वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं उक्त भूमि को आगे अनजान व्यक्ति को बेचान की धमकी दी जा रही है। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 वादिनीगण के हिस्से की भूमि से बेदखल नही करने, दखलअंदाजी नही करने एवं अन्तरण नही करने से प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 विधिवत तामिल बाद असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादीगण संख्या 07 जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर निवेदन कियाः—

- कि प्रकरण में वादिनी द्वारा जो वंशवृक्ष बनाया गया वह सही है एवं रखा वंशज सही बताया गया है।
- कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण संख्या 07 के संयुक्त खातेदारी का खेत है। जिसमें वादिनी का किसी प्रकार का कब्जा—काश्त नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादिनी पिता का पूर्व में 1/2 हिस्सा था जिसको वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 01 के पिता के फौत होने पर दोनो ने अपने पिता का

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

संपूर्ण 1/2 हिस्सा जरिये हकतर्कनामा व समझौता के आधार पर अपने पिता के भाई सुजाणा के पक्ष में करवाकर नामान्तरकरण संख्या 524 दायर किया गया। इस प्रकार वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा जरिये हकतर्क करने के बाद पुनः अपने हिस्से की मांग नही की जा सकती है।

- कि वादिनी के पिता के फौत होने पर वादिनी एवं उनकी बहनों के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया गया था। बाद में वादिनी एवं उनकी बहनों ने प्रशासन गांवों के संग शिविर में तहसीलदार के सामने लिखित समझौता जरिये हकतर्कनामा कर अपना हिस्से का त्याग कर दिया गया। हकतर्कनामा की पुष्ट पर नामान्तरकरण दर्ज किया। उक्त नामान्तरकरण राजस्व कार्मिकों की मिलीभगत से नहीं किया गया है। वादिनी द्वारा अपना हिस्सा त्याग करने के बाद पुनः घोषणा का वाद पेश करने की अधिकारिणी नहीं होने से उक्त वाद न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से मयखर्चा खारिज फरमाया जावे।
- कि वादिनी का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कोई हक एवं कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 02 के पति व प्रतिवादीगण संख्या 03 से 07 के पिता के द्वारा अपना हिस्से का बेचान करने के लिये स्वतन्त्र है। उक्त बेचान को निरस्त करवाने को कोई अधिकार नहीं है।
- कि प्रकरण में उल्लेखित वादग्रस्त आराजी पर वादिनी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से वादिनी को मौके से बेदखल करने, कब्जे में हस्तक्षेप व दखलअंदाजी करने का विवाद पैदा नहीं होने से वादिनी को स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

3. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के अवलोकन पश्चात प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम किये गयेः—

1. *आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 के तहत 1/6—1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।*

.....वादीगण

2. *आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 07 के पति/पिता सुजाणा द्वारा अपने 1/2 हिस्से से अधिक आराजी के किये गये बेचान को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के अधिकारों की सीमा तक आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।*

.....वादीगण

3. *आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर अपनी खातेदारी आराजी के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण की कब्जाकाश्त में दखलअंदाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।*

.....वादीगण

4. *आया मुतनाजा आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा अपना संम्पूर्ण हिस्सा जरिए हकतर्कनामा व समझौता अपने पिता के भाई सुजाणा के पक्ष में करने के कारण वादीगण को अब कोई*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी अधिकार नहीं होने के कारण दावा वादीगण काबिल—ए—खारिज है।

.....प्रतिवादीगण

5. *आया मुतनाजा आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा अपना संम्पूर्ण हिस्सा जरिए हकतर्कनामा व समझौता अपने पिता के भाई सुजाणा के पक्ष में करने के कारण वादीगण को त्याग किये हुए अधिकार को पुनः प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होने के कारण दावा वादीगण काबिल—ए—खारिज है।*

.....प्रतिवादीगण

6. *अन्य दादरसी*

.....उभय—पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
नामान्तरकरण	नामान्तरकरण संख्या 526 ग्राम भेडाणा	प्रदर्श—01
जमाबंदी	खाता संख्या 47 ग्राम लीलानाडी संवत 2072—2075	प्रदर्श—02
जमाबंदी	खाता संख्या 14 ग्राम लक्ष्मीनगर संवत 2074—2077	प्रदर्श—03
जमाबंदी	खाता संख्या 58 ग्राम लक्ष्मीनगर संवत 2074—2077	प्रदर्श—04
जमाबंदी	खाता संख्या 20 ग्राम देवनगर संवत 2074—2077	प्रदर्श—05
आधार कार्ड	कसुम्बी पत्नी सताराम	प्रदर्श—06ए

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
कसुम्बी पुत्री भुरीया उर्फ भूराराम पत्नी सताराम	मेगवाल	भेडाणा हाल निवासी लोलावा तहसील सिणधरी	पी0डब्ल्यू—1
भावी पुत्री भुरीया उर्फ भूराराम पत्नी तेजाराम	मेगवाल	भेडाणा हाल निवासी लोलावा तहसील सिणधरी	पी0डब्ल्यू—2
अणदाराम पुत्र धर्माराम	मेगवाल	भेडाणा	पी0डब्ल्यू—3
चेलाराम पुत्र रतनाराम	देवासी	भेडाणा	पी0डब्ल्यू—4

6. प्रकरण में वादीगण के गवाह पी0डब्ल्यू—1 कसुम्बी पुत्री भुरीया उर्फ भूराराम पत्नी सताराम, पी0डब्ल्यू—2 भावी पुत्री भुरीया उर्फ भूराराम पत्नी तेजाराम, पी0डब्ल्यू—3 अणदाराम पुत्र धर्माराम, पी0डब्ल्यू—4 चेलाराम पुत्र रतनाराम द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- कि वादिनीगण और प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 का एक ही संयुक्त परिवार है। वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 हिन्दू विधि से शासित होते है। उक्त संयुक्त परिवार का एक ही पुरूष पूर्वज रखा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

- कि वादिनीगण ने निवेदन किया गया कि वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 का पैतृक खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1221/2.4686 है0, 1237/0.6070 है0, 1238/0.4128 है0 1239/2.4281 है0 मौजा लक्ष्मीनगर पटवार हल्का भेडाणा, खसरा संख्या 1143/1.7240 है0 मौजा देवनगर पटवार हल्का भेडाणा, 148/4.0711 है0, 445/1.4002 है0 446/2.3310 है0, 501/6.5397 है0 मौजा नीलानाडी पटवार मण्डल भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है।
- कि उक्त मुतनाजा आराजी वादिनीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के पूर्वज रखा की पैतृक आराजी थीं। रखा के फौत होने पर भुरिया व सुजाणा के नाम से राजस्व रेकर्ड संधारित हुआ।
- कि मुतनाजा आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के पिता भुरिया का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 के पिता सुजाणा का 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज था। वादिनीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के पिता भूरिया के फौत होने में फौतगी का नामान्तरकरण प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 के पिता सुजाणा के नाम से पारित किया गया। वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 भूरिया की पुत्रिया होने के नाते प्रथत श्रेणी की विधिक वारिस होने उपरांत भी विरासत में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 का नाम दर्ज नहीं किया गया। वादिनीगण के पिता भूरिया के फौत हो जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से में वादिनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के अधिकार सृजित हो गए है। इस प्रकार प्रकरण में वादिनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 बहिस्सा 1/3—1/3 खातेदारी घोषणा करवाने का वाद पेश किया है।
- कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के पिता भूरिया की फौतगी नामान्तरकरण में प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 के पिता द्वारा यह जानते हुए कि भूरिया के कोई जायन्दा पुत्र नहीं है और वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 पुत्रियों का ज्ञान होते हुए भी अपने नाम से नामान्तरकरण करवा दिया। वादीगण अपने ताउ/काका सुजाणा में विश्वास रखती थी। वादीगण को इस बात ज्ञान नही था कि खातेदारी रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं है और न ही समस्त रिकॉर्ड के रदोबदल की जानकारी थी।
- कि प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 के पिता द्वारा गलत नामान्तरकरण का लाभ उठाते हुए वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 1237/0.6070 है0, 1238/0.4128 है0, 1239/2.4281 है0 का बेचान प्रतिवादीगण संख्या 08 को कर दिया। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 के पूर्वपुरूष द्वारा अपने 1/2 हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया है, हिस्से से अधिक भूमि के बेचान का अधिकार नहीं होने से हिस्से से अधिक बेचान को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 के हितो व अधिकारों की सीमा तक निष्प्रभावी व शुन्य घोषित किया जावे।
- कि वादीगण के पिता भूरिया द्वारा अपने जीवनकाल में किसी को गोद नही लिया, न ही किसी के पक्ष में वसीयत, बेचान एवं दान करवाया गया। वादग्रस्त आराजी में वादिनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का 1/2 हिस्से भूमि पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा काश्त है। उक्त 1/2 हिस्से में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 अपना 1/3—1/3 हिस्सा खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी है।

- कि प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 के पति/पिता गलत तरीके से भूरिया की फौतगी का नामान्तरकरण अपने पक्ष में पारित करवाए जाने के बाद प्रतिवादीगण वादीगणनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल करने एवं उक्त भूमि को आगे अनजान व्यक्ति को बेचान की धमकी दी जा रही है। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 वादिनीगण के हिस्से की भूमि से बेदखल नही करने, दखलअंदाजी नही करने एवं अन्तरण नही करने से प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।
- इसके समर्थन में वादीगण द्वारा पैरा—04 मे अंकित दस्तावेज प्रदर्श करवाएं हैं।

7. प्रकरण में पी0डब्ल्यू—1 कसुम्बी पुत्री भुरीया उर्फ भूराराम पत्नी सताराम ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मै अनपढ हूं। मेरे पिताजी कब फोत हुए मुझे पता नहीं है। मुझे पता नहीं है कि मेरा विवाह कब हुआ याद नहीं हैं । शादी के बाद लगातार मै अपने ससुराल में रह रही हूं। मेरा ससुराल लोलावा में है जहां मै खेती वगैरह करती हूं। मेरे भाई नहीं है। यह बात सही है कि हमने हमारे वकील के कहे अनुसार अंगुष्ठ निशान लगाए। मुझे वादग्रस्त आराजी के कुल कितने खसरे हैं मुझे याद नहीं है। हमारे पिताजी के फोतगी का नामांतरण कब भरा जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। मेरे दादा के नाम से कुल कितनी जमीन थी मुझे याद नहीं है। यह बात सही है कि रमकू भी हमारे साथ में आकर दावा पेश किया था। आज रमकू न्यायालय में हाजिर नहीं है। मेरे चाचा सूजाणाराम के पांच लडकियां जिसमें हुली की शादी अन्नाराम के साथ में हुई हैं और अन्नाराम मौके पर काबिज है और उनके द्वारा खेती की जा रही है। मेरा वादग्रस्त आराजी पर कोई विद्युत कनेक्शन लिया हुआ नहीं है और ना ही मेरे पक्का मकान बनाया हुआ है। वादग्रस्त आराजी के आस पास मीठा पानी है और कृषि कुएं वगैरह भी है और जीरा व अनार की फसल भी होती है। वाद ग्रस्त आराजी में सुजानाराम का एघर बनाया हुआ है जहां पर गंवरी वगैरह रहते हैं। और खेती भी की जाती है। हमारी शादी हुई थी तब हमारे पिताजी बैठे थे। हमारी शादी हुई थी तब मै करीबन 18—20 साल की थी। मेरी शादी को लगभग 35 साल हो गए हैं। मेरी शादी के करीबन 5—7 साल बाद मेरे पिताजी की फोत हो गई। मेरे पिताजी कि फोत होने के बाद हर साल मेरा अपने पीहर में आना जाना रहता है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान में सुजाणाराम के नाम से है और अब सुजाणाराम के वारिसान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजी आज से 50 साल पहले और अब कीमत में रात—दिन का अंतर आ गया है और अब जमीन महंगी है। साक्ष्य शपथ पत्र हमारे अधिवक्ता ने लिखा था। हमने उनके कहे अनुसार अंगुष्ठ निशान कर दिए। हमारे अधिवक्ता ने शपथ पत्र को पढकर हमको नहीं सुनाया था केवल हस्ताक्षर करने को कहा था जो मैने कर दिया। दावा के सारे कागज हमने ई—मित्र से लिए थे, अन्य कहीं से नही लिए थे। हमने पटवारी से वादग्रस्त आराजी की 5—7 साल पहले मैने मेरे मामा के साथ में जाकर ली थी और उसके 2 साल बाद में और पटवारी से नकल ली थी, जिस समय मेरा बेटा व मेरा मामा साथ में थे। मेरे बेटों का घर लोलावा गांव में है और वहीं रहते हैं। मेरे दादा की कुल जमीन

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

में मुझे वर्तमान में क्या हिस्सा और कितना रकबा मिलता है मुझे पता नहीं है। इस दावे के पहले मैने एक और दावा किया था जो हूली के पति अन्नाराम ने 5 साल पहले खारिज करवा दिया था जो दावा हमने तहसील में पेश किया था। और उसके बाद व इस दावे से पहले हमने कोई दावा पेश नहीं किया था। सुजाराम के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर खेती की जा रही है। और हमारी जमीन के हिस्से मे आने वाली फसल का हिस्सा हमें दिया जाता है। यह कहना गलत है कि वर्तमान में जमीन की कीमतों में बढोतरी होने के कारण झूठा दावा पेश किया है।

8. प्रकरण में पी0डब्ल्यू—2 भावी पुत्री भुरीया उर्फ भूराराम पत्नी तेजाराम ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मै अनपढ हूं। मेरे पिताजी कब फोत हुए मुझे पता नहीं है। मुझे पता नहीं है कि मेरा विवाह कब हुआ याद नहीं हैं । शादी के बाद लगातार मै अपने ससुराल में रह रही हूं। मेरा ससुराल लोलावा में है जहां मै खेती वगैरह करती हूं। मेरे भाई नहीं है। यह बात सही है कि मैने मेरे बडे लडके खंगाराराम जिसकी उम्र 30 साल है के कहे अनुसार अंगुष्ठ निशान लगाए। मुझे वादग्रस्त आराजी के कुल कितने खसरे हैं मुझे याद नहीं है। हमारे पिताजी के फोतगी का नामांतरण कब भरा जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। मेरे दादा के नाम से कुल कितनी जमीन थी मुझे याद नहीं है। यह बात सही है कि रमकू भी हमारे साथ में आकर दावा पेश किया था। आज रमकू न्यायालय में हाजिर नहीं है। मेरे चाचा सूजाणाराम के पांच लडकियां जिसमें हुली की शादी अन्नाराम के साथ में हुई हैं और अन्नाराम मौके पर काबिज है और उनके द्वारा खेती की जा रही है। मेरा वादग्रस्त आराजी पर कोई विद्युत कनेक्शन लिया हुआ नहीं है और ना ही मेरे पक्का मकान बनाया हुआ है। वादग्रस्त आराजी के आस पास मीठा पानी है और कृषि कुएं वगैरह भी है और जीरा व अनार की फसल भी होती है। वाद ग्रस्त आराजी में सुजानाराम का एक घर बनाया हुआ है जहां पर गंवरी वगैरह रहते हैं। और खेती भी की जाती है। हमारी शादी हुई थी तब हमारे पिताजी बैठे थे। हमारी शादी हुई थी तब मै करीबन 17—18 साल की थी। मेरी शादी को लगभग 31 साल हो गए हैं और मेरा सबसे बडा बेटा जिसकी उम्र 30 साल है जो मेरी शादी के 1 साल बाद हो गया था। मेरी शादी के करीबन 5—7 साल बाद मेरे पिताजी की फोत हो गई। मेरे पिताजी कि फोत होने के बाद हर साल मेरा अपने पीहर में आना जाना रहता है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान में सुजाणाराम के नाम से है और अब सुजाणाराम के वारिसान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त आराजी आज से 50 साल पहले और अब कीमत में रात—दिन का अंतर आ गया है और अब जमीन महंगी है। साक्ष्य शपथ पत्र हमारे अधिवक्ता ने लिखा था। हमने उनके कहे अनुसार अंगुष्ठ निशान कर दिए। हमारे अधिवक्ता ने शपथ पत्र को पढकर हमको नहीं सुनाया था केवल हस्ताक्षर करने को कहा था जो मैने कर दिया। दावा के सारे कागज मेरे बडे बेटे द्वारा ई—मित्र से लिए थे , अन्य कहीं से नही लिए थे मै दस्तावेज लेने के लिए साथ में नहीं गई थी। हमने पटवारी से वादग्रस्त आराजी की 5—7 साल पहले मैने मेरे मामा के साथ में जाकर ली थी और उसके 2 साल बाद में और पटवारी से नकल ली थी, जिस समय मेरा बेटा व मेरा मामा साथ में थे। मेरे बेटों का घर लोलावा गांव में है और वहीं रहते हैं। मेरे दादा की कुल जमीन में मुझे वर्तमान में क्या हिस्सा और कितना रकबा मिलता है मुझे पता नहीं है। इस दावे के पहले मैने एक और दावा किया था जो हूली के पति अन्नाराम ने 5 साल पहले खारिज करवा दिया था जो दावा हमने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

तहसील में पेश किया था। और उसके बाद व इस दावे से पहले हमने कोई दावा पेश नहीं किया था। सुजाराम के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर खेती की जा रही है। और हमारी जमीन के हिस्से मे आने वाली फसल का हिस्सा हमें दिया जाता है। यह कहना गलत है कि वर्तमान में जमीन की कीमतों में बढोतरी होने के कारण झूठा दावा पेश किया है।

9. प्रकरण में पी0डब्ल्यू—3 अणदाराम पुत्र धर्माराम ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मैं अनपढ हूं। मेरी उम्र 60 साल है। वादिनी के घर से मेरा 3 किमी0 दूर मेरा रहवासी घर है। मेरा एक ही खेत इस गांव में है और व वादिनी के सेढा सेढ पडौसी हूं। भूराराम की फोतगी का म्यूटेशन कब भरा और कितने नं. भरा जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। भूराराम को फोत हुए करीव 40 साल हो गए। भूराराम फोत हुए तब मैं छोटा ही था और मेरी शादी भी बाद में ही हुई थी। भूराराम के कितने खसरे हैं मुझे खसरा नं. याद नहीं है। वादग्रस्त आराजी में वर्तमान में किनका नाम है मुझे जानकारी नहीं है और नाही मैने कभी रिपोर्ट देखी। भूराराम की फोतगी का नामांतरण में किनका नाम आया मुझे जानकारी नहीं है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी में विद्युत कनेक्शन लिया हुआ नहीं है। यह बात सही है कि वादिनी के द्वारा अपने पिता के फोत होने के करीबन 40 साल तक घोषणा का कोई दावा न्यायालय में पेश नहीं किया गया। शपथ पत्र पर मेरे अंगुष्ठ निशान है। शपथ पत्र मुझे पढकर नहीं सुनाया गया, घोषणा का दावा है। आज मै वादिनी के कहने पर न्यायालय में साक्ष्य देने आया हूं जो भूराराम की वारिस है। वादिनी ने ग्राम सभा में न्याय आपके द्वार कैम्प में किसी प्रकार का इकरार नामा सुजाना के पक्ष में नहीं दिया गया था। भूराराम के भी कोई पुत्र संतान नहीं है।

10. प्रकरण में पी0डब्ल्यू—4 चेलाराम पुत्र रतनाराम ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि वादीगण के पिता भूराराम आज से 25 साल पहले फौत हुआ था। वादिनी के पिता और मेरा घर के बीच आधा किलोमीटर की दूरी है। वादिनी के पिता के खेत का खसरा संख्या मुझे याद नहीं है। भूराराम के नाम से करीबन 106 बीघा का खेत आया हुआ है। कसूम्बी के नाम से वर्तमान में कोई लाईट कनेक्शन नहीं है। ढाणी बनी हुई है। उक्त भूमि में कसूम्बी के नाम से सरकारी टांका बना हुआ है। जिस पर सरकारी प्लेट लगी हुई है। यह टांका करीबन 15 साल पहले बना है।भावी के नाम से इस खेत में टांका बना हुआ नहीं है दूसरे खेत में होगा तो मुझे पता नहीं। भावी के नाम से लाईट कनेक्शन नहीं है। भावी का ससुराल लोलावा में है और वही रहती है। कसुम्बी भी अपने ससुराल लोलावा रहती है। मैं पढ़ा लिखा हूं। भूराराम की फौतगी का म्युटेशन कब भरा गया मुझे इसकी जानकारी नहीं है। शपथ पत्र मेरे से पुछ कर तैयार किया है जो मैंने कहा वह लिखा गया है। खसरा संख्या मैने खेत की नकल देखकर लिखाया है मुझे याद नहीं है। नकल आज मेरे पास नहीं है। मैंने वकील की फाईल में नकल देखकर खसरा संख्या लिखवाए। वर्तमान में दो नीलानाडी में और एक देवनगर में और एक गंगापुरा में खेत आया हुआ है। इनके अलावा और कोई गांव में इनका खेत नहीं है। शपथ पत्र में मैंने म्युटेशन नंबर लिखा है लेकिन अभी मुझे म्युटेशन नंबर याद नहीं है। कसूम्बी 70 बीघा में से करीबन 23 बीघा हिस्से की अधिकारी है। कसूम्बी के पिता फौत होने के बाद तब जानकारी हुई तब उसने दावा किया। उक्त खेतों में टयूबवेल से खेती की जाती है। जमीन आज से 50 साल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

पहले और वर्तमान में जमीन महंगी या सस्ती हुई है प्रत्येक आदमी को जानकारी है। अज खुद कहा कि जमीन सस्ती है या महंगी है उसे आपको क्या लेना—देना। वादिनी के नाम से जमाबंदी है या नहीं इसके कागज मैंने नहीं देखे। कसुम्बी ने जरिये इकरारनामा ग्राम सभी की मीटिंग में तहसीलदार के रूबरू कोई अपने हस्ताक्षर, अगुष्ठ निशान नही किया है। जिसकी मुझे पूरी जानकारी है। मीटिंग वाले दिन मैं मीटिंग में था लेकिन कसूम्बी वहा नही आई। यह मीटिंग आज से 15 साल पहले हुई थी उस मीटिंग मे शामिल हुआ था। उसके बाद भी कसुम्बी ने किसी मीटिंग में कोई लिखित नही की है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। कसूम्बी हर मीटिंग में नही आई है क्योकि वह लोलावा रहती है। मैं हर मीटिंग में उपस्थित रहता हूं। आज से 36 साल पहले कसूम्बी के पिता की फौतगी का म्युटेशन नही भरा गया था। उस समय मेरी उम्र करीबर 15—16 साल थी तो मुझे जानकारी नही है। कसूम्बी के पिता की फौतगी का म्युटेशन फर्जी हुआ है। मुझे जानकारी है बिलकुल फर्जी हुआ है।

11. प्रकरण में वादीगण साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादीगण साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न प्रकार प्रदर्श अंकित करवाए गए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
नामान्तरकरण	नामान्तरकरण संख्या 524 ग्राम भेडाणा	प्रदर्शडी—01

12. प्रकरण में प्रतिवादीगण साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
हुली पुत्री सुजानाराम पत्नी अनाराम	मेगवाल	पायला कला	डी0डब्ल्यू—1
सुरेश कुमार पुत्र अनाराम	मेगवाल	पायला कला	डी0डब्ल्यू—2

13. प्रकरण में डी0डब्ल्यू—1 हुली पुत्री सुजानाराम पत्नी अनाराम डी0डब्ल्यू—2 सुरेश कुमार पुत्र अनाराम द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—
    - कि प्रकरण में वादिनी द्वारा जो वंशवृक्ष बनाया गया वह सही है एवं रखा वंशज सही बताया गया है।
    - कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण संख्या 07 के संयुक्त खातेदारी का खेत है। जिसमें वादिनी का किसी प्रकार का कब्जा—काश्त नहीं है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादिनी पिता का पूर्व में 1/2 हिस्सा था जिसको वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 01 के पिता के फौत होने पर दोनो ने अपने पिता का संपूर्ण 1/2 हिस्सा जरिये हकतर्कनामा व समझौता के आधार पर अपने पिता के भाई सुजाणा के पक्ष में करवाकर नामान्तरकरण संख्या 524 दायर किया गया। इस प्रकार वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा जरिये हकतर्क करने के बाद पुनः अपने हिस्से की मांग नही की जा सकती है।
    - कि वादिनी के पिता के फौत होने पर वादिनी एवं उनकी बहनों के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया गया था। बाद में वादिनी एवं उनकी बहनों ने प्रशासन गांवों के संग शिविर में तहसीलदार के सामने लिखित समझौता जरिये

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

हकतर्कनामा कर अपना हिस्से का त्याग कर दिया गया। हकतर्कनामा की पुष्ट पर नामान्तरकरण दर्ज किया। उक्त नामान्तरकरण राजस्व कार्मिकों की मिलीभगत से नहीं किया गया है। वादिनी द्वारा अपना हिस्सा त्याग करने के बाद पुनः घोषणा का वाद पेश करने की अधिकारिणी नहीं होने से उक्त वाद न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से मयखर्चा खारिज फरमाया जावे।

- कि वादिनी का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कोई हक एवं कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 02 के पति व प्रतिवादीगण संख्या 03 से 07 के पिता के द्वारा अपना हिस्से का बेचान करने के लिये स्वतन्त्र है। उक्त बेचान को निरस्त करवाने को कोई अधिकार नहीं है।
- कि प्रकरण में उल्लेखित वादग्रस्त आराजी पर वादिनी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से वादिनी को मौके से बेदखल करने, कब्जे में हस्तक्षेप व दखलअंदाजी करने का विवाद पैदा नहीं होने से वादिनी को स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
- इसके समर्थन में वादीगण द्वारा पैरा—11 मे अंकित दस्तावेज प्रदर्श किये हैं।

14. प्रकरण में डी0 डब्ल्यू—1 हुली पुत्री सुजानाराम पत्नी अनाराम ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मैं आज कोर्ट में खेत के काम से आई हुं। मेरा ससुराल पायला में है। मेरे दादा का नाम रखाराम था। भूराराम मेरे ताउजी लगते थे। भूराराम की जमीन को कोई नहीं जोतते है, खाली पड़ी है। अज खुद कहा कि इस साल खाली पड़ी है। भूराराम के तीन लड़किया है। तीनों को मैं पहचानती हूं क्योंकि मेरे बहिने लगती है। भूराराम के कोई पुत्र नहीं था। भूराराम की जमीन का म्युटेशन अभी तक किसी के नाम का नहीं भरा। अज खुद कहा कि हमारे छः नाम से भरा गया। वादगस्त जमीन नीलानाड़ी, देवनगर, लक्ष्मीनगर में आई हुई है। वादग्रस्त जमीन का रकबा कितना है मुझे पता नहीं। सेटलमेंट का मुझे पता नहीं पहले यह हमारे दादाजी के पास थी, फिर अभियान की मिटिंग में हमारे नाम म्युटेशन हुआ। भूराराम और एक अन्य भाई था। जो सुजानाराम था। अभियान की मिटिंग कब हुई मुझे पता नहीं काफी साल हो गए है। वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या मुझे पता नहीं है। आज क्या तारीख है मुझें याद नहीं है। शपथ पत्र वकील साहब ने लिखवाया है। मैने तो सीधे ही अंगुठे के निशान किये है। कितनी जगह अंगुष्ठ निशान किये मुझे पता नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर एक ट्यूबवेल किया हुआ है जिसका खर्चा मेरे द्वारा वहन किया गया। जिस पर हम काश्त करते है। ईकरारनामा क्या होता है मुझे पता नहीं। हकतर्कनामा क्या है वह भी मुझे पता नहीं है। मेरे साथ आज कोई नहीं आया है गवाह देने मैं अकेली आई हूं। यह दावा किसने पेश किया मुझे पता नहीं।

15. प्रकरण में डी0डब्ल्यू—2 सुरेश कुमार पुत्र अनाराम ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरा नाम सुरेश कुमार है मैं आठवी तक पढ़ा लिखा हूं। अभी मैं लोडर, ट्रैक्टर चलाकर मजदूरी करता हूं। मेरी उम्र 25 वर्ष है। हम चार भाई है। कसुम्बी मेरे मासी लगती है। मैं खेतीबाड़ी करता हू, लोडर कभी—कभी चलाता हूं। भूराराम मेरे नाना के भाई थे। वादग्रस्त आराजी मेरे नाना के पिता के नाम से थी बाद में भूराराम के फौत हो गया जिस पर अभियान की मिटिंग हुई जिसमें भूरा की लड़किया ने लेने से मना किया तब मेरे नाना के नाम म्युटेशन हो गया। भूराराम के तीन लड़किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

नाम भावी, कसुम्बी, रमकु है। इनके कोई सगा भाई नहीं था। गांव में अभियान की मिटिंग कब हुई इतना मुझे पता नहीं है लेकिन काफी समय हो गया है। मिटिंग के बारे में सुनी हुई बाते कर रहा हूं। वादग्रस्त खेतो के खसरा संख्या मुझे याद नही है, फाईल में लिखे हुए है। भूराराम कब फौत हुए मुझे याद नहीं है। जमीन का सेटलमेंट कब हुआ मुझे पता नहीं अज खुद कहा कि मैं वही रहता हू, वही खड़ता हूं। देवनगर में सड़क के दोनो तरफ आई हुई है वहां मैं खड़ता हूं। कसुम्बी ने यह दावा कब किया मुझे पता नहीं है। अज खुद कहा कि दावा पेश करने की तारीख फाईल में लिखी हुई है। मैने शपथ पत्र कसुम्बी ने झूठा दावा पेश किया है इसलिए पेश किया। शपथ पत्र मेरे कहे अनुसार वकील साहब ने तैयार किया।

16. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए वादीगण का दावा खारिज करने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया—
    - कि मुतनाजा आराजी में वादीगण के पिता भुरिया का 1/2 हिस्सा निहित है। वादीगण, भुरिया की पुत्री होकर विधिक वारिसान है। जबकि पंचायत द्वारा भुरिया का नामान्तरण वादीगण के पक्ष में दर्ज नहीं कर प्रतिवादीगण के पक्ष में दर्ज किया है। जो कि विधि विरूद्ध है।
    - वादीगण अपने पिता की आराजी पर आज भी काबिज काश्त है। इस कारण वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर वादीगण की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे।
    - कि वादीगण द्वारा अपनी आराजी के बारे में किसी प्रकार का समझौता तथा हकतर्कनामा निष्पादित नहीं करवाया है। इस कारण वादीगण की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करते हुए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

17. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैंः—
    1. *आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 के तहत 1/6—1/6 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।*

    ..... *वादीगण*

18. प्रकरण में अग्रिम विश्लेषण से पूर्व सिविल मामलों में संबंधित पक्षों के दावे व खण्डन के संबंध में साबित करने के भार के संबंध में कानूनी स्थिति का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

OF THE BURDEN OF PROOF

104. Burden of proof.—Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Illustrations.

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true. A must prove the existence of those facts.

105. On whom burden of proof lies.—The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Illustrations.

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.

106. Burden of proof as to particular fact.—The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.

Illustration.

A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.—The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.

Illustrations.

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

19. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2413/2006 उनवान में निर्णय दिनांक 02.05.2006 में साक्ष्य अधिनियम—1887 के प्रासंगिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए किसी दावे में साबित करने के भार के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक विवेचन का उद्धरण निम्न प्रकार है—

> The initial burden of proof would be on the plaintiff in view of Section 101 of the Evidence Act, which reads as under:-
>
> > "Sec. 101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.
> >
> > When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."
>
> In terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto.....
>
> Pleading is not evidence, far less proof. Issues are raised on the basis of the pleadings. The defendant-appellant having not admitted or acknowledged the fiduciary relationship between the parties, indisputably, the relationship between the parties itself would be an issue. The suit will fail if both the parties do not adduce any evidence, in view of Section 102 of the Evidence Act. Thus, ordinarily, the burden of proof would be on the party who asserts the affirmative of the issue and it rests, after evidence is gone into, upon the party against whom, at the time the question arises, judgment would be given, if no further evidence were to be adduced by either side.
>
> xxx
>
> There is another aspect of the matter which should be borne in mind. A distinction exists between a burden of proof and onus of proof. The right to begin follows onus probandi. It assumes importance in the early stage of a case. The question of onus of proof has greater force, where the question is which party is to begin. Burden of proof is used in three ways : (i) to indicate the duty of bringing forward evidence in support of a proposition at the beginning or later; (ii) to make that of establishing a proposition as against all counter evidence; and (iii) an indiscriminate use in which it may mean either or both of the others. The elementary rule is Section 101 is inflexible. In terms of Section 102 the initial onus is always on the plaintiff and if he discharges that onus and makes out a case which entitles him to a relief, the onus shifts to the defendant to prove those circumstances, if any, which would disentitle the plaintiff to the same.
>
> In R.V.E. Venkatachala Gounder v. Arulmigu Viswesaraswami & V.P. Temple and Anr., the law is stated in the following terms :
>
> > "29. In a suit for recovery of possession based on title it is for the plaintiff to prove his title and satisfy the court that he, in law, is entitled to dispossess the defendant from his possession over the suit property and for the possession to be restored to him. However, as held in A. Raghavamma v. A. Chenchamma there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof:

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

> burden of proof lies upon a person who has to prove the fact and which never shifts. Onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. In our opinion, in a suit for possession based on title once the plaintiff has been able to create a high degree of probability so as to shift the onus on the defendant it is for the defendant to discharge his onus and in the absence thereof the burden of proof lying on the plaintiff shall be held to have been discharged so as to amount to proof of the plaintiff's title."

20. प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता / प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।

21. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार तथा प्रमाण का भार में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार प्रमुखतः वादीगण पर होता है। सबूत का भार स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार स्थानांतरित होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार स्थानांतरित होता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरूद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।

22. इस प्रकार उक्त कानूनी स्थिति के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रकरण में वादीगण के दावे का मुख्य आधार यह है कि वादीगण, भुरिया पुत्र रखा की विधिक वारिस है जबकि प्रतिवादीगण का मुख्य खण्डन है कि वादीगण द्वारा पूर्व में समझौता व हकतर्क किया हुआ है। इस संबंध में उक्त तथ्य को साबित करने का भार वादीगण पर है। इस संबंध में वादीगण द्वारा अपने दावे के अभिवचन में उल्लेखित किया है कि भुरिया पुत्र रखा की विधिक वारिस वादीगण है। यहां उल्लेखनीय है कि कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है। अतः केवल दावे के अभिवचन के आधार पर ही वादीगण को भुरिया की पुत्री होने के तथ्य को साबित नहीं माना जा सकता है। वादीगण के दावे के उक्त अभिवचन का प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट व विशेष खण्डन नहीं किया है। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त तथ्य के स्पष्ट व विशेष खण्डन नहीं किये

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

जाने की स्थिति में वादीगण द्वारा उक्त तथ्य को एक तरीके से प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है। वादीगण को रखा के परिवार के बारे में इतनी जानकारी होना तथा उक्त जानकारी को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार किया जाना या स्पष्ट खण्डन नहीं करना अपने आप में वादीगण को रखा के परिवार के सदस्य होने के तथ्य को साबित करता है। इस प्रकार वादीगण अपने उपर आरोपित भुरिया की पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में सफल रही है। इससे प्रमाणन का भार प्रतिवादीगण के उपर स्थानांतरित होता है।

23. इस प्रकार उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वादीगण को रखा के परिवार के बारे में इतनी जानकारी होना तथा उक्त जानकारी को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार किया जाना या स्पष्ट खण्डन नहीं करना अपने आप में वादीगण को रखा के परिवार के सदस्य होने के तथ्य को साबित करता है। इस प्रकार दस्तावेजीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वादीगण अपने उपर आरोपित भुरिया की पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में सफल रही है। इससे अब प्रमाणन का भार प्रतिवादीगण के उपर स्थानांतरित होता है। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त तथ्य के स्पष्ट व विशेष खण्डन नहीं किये जाने की स्थिति में वादीगण द्वारा उक्त तथ्य को एक तरीके से प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है। इस संबंध में प्रतिवादीगण के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार वापस वादीगण के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार वादीगण अपने उपर आरोपित भुरिया की पुत्री होने के तथ्य को उक्तानुसार साबित करने में सफल रही है। इस प्रकार वादीगण को भुरिया की ही पुत्री माना जाना उचित प्रतीत होता है।

24. उक्त प्रकार से अब प्रकरण में वादीगण को भुरिया की पुत्री माने जाने के पश्चात प्रकरण का विधिक आधारों पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। प्रकरण में उक्त तनकी संख्या 01 सारतः हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> ***8. General rules of succession in the case of males.—***
> *The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter:—*
> *(a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;*
> *(b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;*
> *(c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased; and*
> *(d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

25. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 के अनुसार सर्वप्रथम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—1 के अनुसार दर्ज किये जाने के प्रावधान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग के अन्तर्गत वारिसों के मध्य संपत्ति की विरासत के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 तथा धारा—10 के तहत प्रावधान बनाये गये है। प्रकरण में अपीलार्थी हिन्दू मृतक के वारिस अभिकथित किये जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 तथा धारा—10 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> ***9. Order of succession among heirs in the Schedule.—*** *Among the heirs specified in the Schedule, those in class I shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs; those in the first entry in class II shall be preferred to those in the second entry; those in the second entry shall be preferred to those in the third entry; and so on in succession.*
>
> ***10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.*** *—The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules: —*
> *Rule 1.—The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.*
> *Rule 2.—The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.*
> *Rule 3.—The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.*
> *Rule 4.—The distribution of the share referred to in Rule 3—*
> *(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters get equal portions; and the branch of his pre-deceased sons gets the same portion;*
> *(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions.*

26. उक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 तथा धारा—10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के सभी वारिस एक साथ तथा एक समान भाग प्राप्त करते है। किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार अगर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिस उपलब्ध नहीं होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—02 के वारिसों में सर्वप्रथम प्रथम प्रविष्टि के वारिसों के नाम विरासत दर्ज करने के प्रावधान है। किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन के सामान्य नियम व निर्देश दिये गये है।

27. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:—

THE SCHEDULE (See section 8)
HEIRS IN CLASS I AND CLASS II

Class I

Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a pre-deceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son.

28. प्रथम श्रेणी के वारिसों को निम्न सारणी अनुसार समझा जा सकता है—

Married Male - Hindu, Budhist, Jain, Sikh (Class I Heirs)

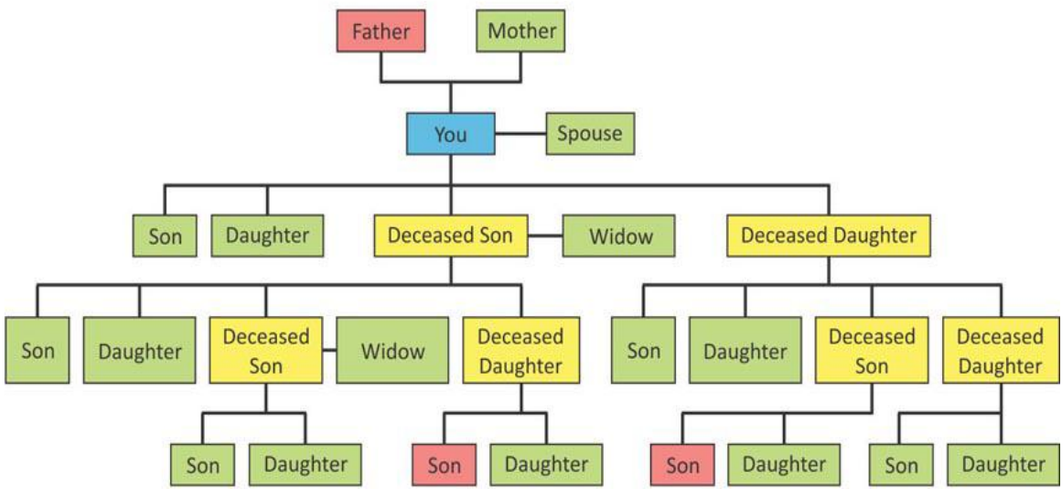

29. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों में मृतक हिन्दू पुरूष के असल पुत्र, पुत्रीयों, पत्नी तथा माता को भी एक समान भाग प्राप्त होने के प्रावधान है।

30. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि रखा के 02 भुरिया व सुजाना पुत्र रहे है। जिनमें भुरिया भी रखा का विधिक पुत्र निर्विवादित है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यायगमन के आधार पर रखा की संपत्ति में भुरिया का 1/2 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार प्रकरण में वादीगण अपने पिता भुरिया की प्रथम श्रेणी की वारिस है जबकि प्रतिवादीगण भुरिया के भाई होने के आधार पर द्वितीय श्रेणी के वारिस है। इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यागमन होने की स्थिति में भुरिया के द्वितीय श्रेणी के वारिसों से पूर्णरूप से निरपेक्ष रहते हुए भुरिया की प्रथम श्रेणी की वारिस वादीगण को ही भुरिया का उक्त संपत्ति में 1/2 हिस्सा वादीगण के उपर न्यागत होना विधिसंगत है। अतः वादीगण के पिता भुरिया की सम्पत्ति में वादीगण के एकल हित व अधिकार निहित हैं।

31. प्रकरण में वादीगण अपने पिता भुरिया की प्रथम श्रेणी की वारिस है जबकि प्रतिवादीगण भुरिया के द्वितीय श्रेणी के वारिस है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा भुरिया की विरासत वादीगण के प्रथम श्रेणी के वारिस होकर उपस्थित होने के बावजूद भी द्वितीय श्रेणी के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के विपरीत दर्ज की है। इस आधार पर मुतनाजा आराजी पर भुरिया पुत्र रखा के 1/2 हिस्से पर वादीगण के अधिकार निहित है। यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के तहत किसी काश्तकार के पूर्व से ही निहित अधिकारों की घोषणा करने हेतु प्रावधान बनाए गए है। एक प्रकार से खातेदारी अधिकारों की घोषणा किसी प्रकार के अधिकारों का नवसृजन नहीं है। बल्कि संबंधित काश्तकार के प्रश्नगत आराजी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के तहत या अन्य प्रभावी कानून के तहत प्रदत्त एवं पूर्व से ही निहित अधिकारों का प्रस्फुटन/उद्घोषणा मात्र है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 को साबित करने में वादीगण सफल रहे है।

32. प्रकरण में अब तनकी संख्या 02 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 02 निम्न प्रकार हैः—

> 2. *आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 07 के पति/पिता सुजाणा द्वारा अपने 1/2 हिस्से से अधिक आराजी के किये गये बेचान को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के अधिकारों की सीमा तक आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।*
>
> .....*वादीगण*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

33. प्रकरण में उक्त तनकी सहदायिकी संपत्ति में किये गये अंतरण को आरंभ से शुन्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने से संबंधित है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मुतनाजा आराजी का कुल रकबा 21.9825 है0 है। उक्त आराजी में भुरिया पुत्र रखा का 1/2 हिस्से के तहत 10.9912 है0 आराजी आती है। इसी प्रकार सुजाना पुत्र भुरिया का 1/2 हिस्से के तहत 10.9912 है0 आराजी आती है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के पिता सुजाना पुत्र रखा ने खसरा संख्या 1237, 1238, 1239 कुल रकबा 3.4479 है0 भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 08 के पक्ष में किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में ज्ञात होता है कि सुजाना पुत्र रखा द्वारा अपने हिस्से की आराजी रकबा 10.9912 है0 में से 3.4479 है0 आराजी का बेचान किया है। इस कारण सुजाना पुत्र रखा का मुतनाजा आराजी में से शेष रकबा 7.5433 है0 तथा भुरिया पुत्र रखा का 1/2 हिस्से की आराजी का रकबा 10.9912 है0 अभी भी शेष है। इस प्रकार सुजाना पुत्र रखा द्वारा केवल अपने हिस्से की आराजी का ही बेचान किया गया है। इस कारण सुजाना पुत्र रखा द्वारा किया गया उक्त बेचान विधिविरूद्ध प्रतीत नहीं होता है।

34. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रखा का परिवार एक वृहत संयुक्त हिन्दु परिवार इकाई का संगठन के रूप में अस्तित्व में है। उक्त रखा के संयुक्त परिवार में भुरिया पुत्र रखा अपने पत्नी व पुत्रियों के साथ एक लघु संयुक्त हिन्दु परिवार इकाई का गठन करता है। इसी प्रकार सुजाना पुत्र रखा अपने पत्नी व पुत्रियों व पुत्रों के साथ एक लघु संयुक्त हिन्दु परिवार इकाई का गठन करता है। इस प्रकार रखा का परिवार एक वृहत संयुक्त हिन्दु परिवार इकाई में भुरिया के परिवार की लघु ईकाई व सुजाना के परिवार की लघु ईकाई समावेशित रहे है। चूंकि भूरिया की मृत्यु हो चुकी है एवं भूरिया के कोई पुत्र नहीं है। साथ ही भुरिया की पुत्रियों की शादी हो चुकी है। जबकि सुजाना अपने लघु संयुक्त परिवार की इकाई के रूप में वर्तमान में अस्तित्व में है। उक्त वृहत संयुक्त हिन्दु परिवार का कर्ता निश्चित रूप से सुजाना पुत्र रखा है। इस कारण सुजाना पुत्र रखा द्वारा बतौर कर्ता खानदान के रूप में संयुक्त परिवार की संपत्ति का अंतरण करने का विधिक अधिकार निहित है। इस आधार पर भी सुजाना पुत्र रखा द्वारा किये गये उक्त अंतरण विधिसंगत प्रतीत होते है। इस आधार पर वादीगण उक्त तनकी को साबित करने में असफल रहे है। इस कारण उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

35. प्रकरण में अब तनकी संख्या 03 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 03 निम्न प्रकार हैः—

    3. *आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर अपनी खातेदारी आराजी के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण की कब्जाकाश्त में दखलअंदाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।*

    .....वादीगण

36. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 03 स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रकरण में उक्त तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

188. Injunction against wrongful ejectment—
(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.
(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-
(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;
(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;
(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

37. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

38. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादीगण का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादीगण का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू—भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादीगण के किसी निश्चित भू—भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादीगण के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः तनकी संख्या 03 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

39. इस संबंध में तनकी संख्या 04 व 05 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 04 व 05 निम्न प्रकार हैः—

4. *आया मुतनाजा आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा अपना संम्पूर्ण हिस्सा जरिए हकतर्कनामा व समझौता अपने पिता के भाई सुजाणा के पक्ष में करने के कारण वादीगण को अब कोई खातेदारी अधिकार नहीं होने के कारण दावा वादीगण काबिल—ए—खारिज है।*

.....प्रतिवादीगण

5. *आया मुतनाजा आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा अपना संम्पूर्ण हिस्सा जरिए हकतर्कनामा व समझौता अपने पिता के भाई सुजाणा के पक्ष में करने के कारण वादीगण को त्याग किये हुए अधिकार को पुनः प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होने के कारण दावा वादीगण काबिल—ए—खारिज है।*

.....प्रतिवादीगण

40. प्रकरण में तनकी संख्या 04 व 05 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के उपर है। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेजीय साक्ष्य बाबत हकतर्कनामा व समझौता प्रस्तुत नहीं किया है। यहां उल्लेखनीय है कि सहदायिकी संपत्ति या अचल संपत्ति का हकतर्कनामा केवल संपत्ति का अंतरण अधिनियम—1882 के तहत ही किया जा सकता है। यहां उल्लेखनीय है कि सहदायिकी संपत्ति का पारिवारिक समझौता केवल भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम—1925 के तहत ही किया जा सकता है। इसी प्रकार सहदायिकी संपत्ति या अचल संपत्ति का हकतर्कनामा केवल संपत्ति का अंतरण अधिनियम—1882 के तहत तथा सहदायिकी संपत्ति या अचल संपत्ति का हकतर्कनामा केवल संपत्ति का अंतरण अधिनियम—1882 के तहत किया जाकर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम—1908 के तहत उक्त दस्तावेज का पंजीबद्ध होना आवश्यक है। परंतु वादी द्वारा उक्त प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि उक्त प्रकार से विधिसंगत अंतरण नहीं करने पर किसी भी संपत्ति में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन व अंतरण नहीं होता है। इस प्रकार दस्तावेजीय साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य के माध्यम से प्रतिवादीगण अपने उपर आरोपित उक्त तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में असफल है। इस कारण प्रमाणन का भार वादीगण के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपने उपर आरोपित उक्त तथ्य को उक्तानुसार साबित करने में असफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 04 व 05 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

41. निष्कर्षतः प्रकरण में प्रकरण में वादीगण अपने पिता भुरिया की प्रथम श्रेणी की वारिस है। इस आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यागमन के आधार पर रखा की संपत्ति में भुरिया का 1/2 हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

इस कारण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 1237, 1238, 1239 मौजा लक्ष्मीनगर पटवार हल्का भेडाणा को छोड़ते हुए शेष मुतनाजा आराजी में वादीगण प्रत्येक को 1/6 हिस्से की घोषणा करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मुतनाजा संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही होने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत् इस्तक्करारहक आंशिक मंजूर किया जाकर डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि खसरा संख्या 1237, 1238, 1239 मौजा लक्ष्मीनगर पटवार हल्का भेडाणा की आराजी को छोड़ते हुए शेष मुतनाजा आराजी में वादीगण प्रत्येक को 1/6 हिस्से की घोषणा करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 30.03.2026 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023 / 340 दर्ज तिथिः—06.10.2023

1. कसूम्बी पुत्री भूराराम उर्फ भूरिया पत्नी सताराम
2. भावी पुत्री भूराराम उर्फ भूरिया पत्नी तेजाराम
   जाति मेघवाल निवासी भेडाणा हाल लोलावा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

.....वादीगण

बनाम

1. रमकू पुत्री भूराराम उर्फ भुरिया पत्नी पताराम
   जाति मेघवाल निवासी गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
2. गवरी पत्नी सुजाणाराम जाति मेगवाल निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. झीणी पुत्री सुजाणाराम पत्नी देवाराम जाति मेगवाल निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
4. नावी पुत्री सुजाणाराम पत्नी बाबुराम जाति मेगवाल निवासी जागसा
5. पांचू पुत्री सुजाणाराम पत्नी छगनाराम जाति मेगवाल निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. लीलू पुत्री सुजाणाराम पत्नी गणेशाराम जाति मेगवाल निवासी डेडावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
7. हुली पुत्री सुजाणाराम पत्नी अनाराम जाति मेगवाल निवासी पायला कला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
8. मोटा पुत्र अखाराम जाति मेगवाल निवासी धांधलावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
9. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सड़ा जिला बालोतरा
10. तहसीलदार गुड़ामालानी।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः—श्री सुखराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री जोगराज पोटलिया

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested

—:पर्चा डिक्रीः—

वादीगण का दावा बाबत् इस्तक्कररहक आंशिक मंजूर किया जाकर डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि खसरा संख्या 1237, 1238, 1239 मौजा लक्ष्मीनगर पटवार हल्का भेडाणा की आराजी को छोड़ते हुए शेष मुतनाजा आराजी में वादीगण प्रत्येक को 1/6 हिस्से की घोषणा करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.12 17:58:03 IST
Reason: SelfAttested